

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय अनुमंडल दंडाधिकारी, छतरपुर (पलामू)।

विविध वाद संख्या-177/2017-18

आदेश

(धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

राजेश्वर यादव ————— प्रथम पक्ष

बनाम

विनय पासवान वगैरह ————— द्वितीय पक्ष

P No - 6
2-8-18

10-05-2018

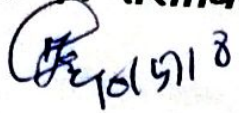
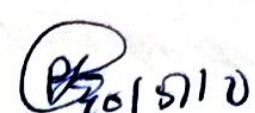
यह प्रक्रिया थाना प्रभारी, हरिहरगंज के अप्राथमिकी संख्या-13/18 दिनांक 25.02.2018 के आधार पर धारा 144 दण्डप्रसंग अन्तर्गत प्रक्रिया प्रारम्भ की गई। प्रक्रिया की भूमि मौजा- बनसप्ती के खाता संख्या- 08, प्लॉट सं- 127, रकबा- 13 डी0, जिसकी चौहद्दी उत्तर- हरिहर पासवान का घर, दक्षिण- बिलकेश्वर सिंह का खेत, पूरब- बिलकेश्वर सिंह का खेत, पश्चिम- पी0 सी0 सी0 सड़क से संबंधित है। तदनुसार उभय पक्षों को नोटिस निर्गत कर उभय पक्षों को विवादित भूमि पर जाने से रोक लगाते हुए कारण पृच्छा की मांग की गई। नोटिस के आलोक में उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए एवं कारण- पृच्छा दाखिल किये।

प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि विवादी भूमि प्रथम पक्ष के खतियानी भूमि है जो भागवत महतो के नाम से खतियान में दर्ज है। प्रश्नगत भूमि पर सुरु से आज तक प्रथम पक्ष का शांतिपूर्ण दखल-कब्जा चला आ रहा है। विवादी भूमि पर द्वितीय पक्ष के लोग बाजबरजस्ती मकान बना चाहते हैं। उक्त भूमि से संबंधित मामला मेदिनीनगर सिविल कोर्ट में विचाराधिण है।

द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि विवादी भूमि द्वितीय पक्ष के पूर्वज ने प्रथम पक्ष के पूर्वज से सादा-

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2 विक्रयनामा के आधार पर हासिल किये थे और उक्त प्लॉटों में द्वितीय पक्ष के पूर्वज मकान बनाकर अपने जीवनकाल में शान्तिपूर्ण दखल- कब्जा में रहे तथा द्वितीय पक्ष के पूर्वज के मृत्यु के बाद द्वितीय पक्ष का शान्ति पूर्वक दखल - कब्जा चला आ रहा है एवं उक्त प्लॉट में जो शेष भूमि है मकान के बाद घर - बारी के रूप में उपयोग करते चले आ रहे हैं। प्रथम पक्ष के पूर्वज के यहाँ विपक्षी के पूर्वज काम करते थे तथा मजदूरी के एवज में उक्त भूमि को विपक्षी के पूर्वज को मकान बनाने के लिए सादा विक्रयनामा लिखे थे जिसके आधार पर विपक्षी के पूर्वज दखल - कब्जे में रहे तथा विपक्षी के पूर्वज के मृत्यु के बाद विपक्षी का दखल - कब्जा एवं स्वामित्व चला आ रहा है। विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता का आगे कहना है कि राजेश्वर यादव के द्वारा प्रक्रिया के भूमि के ऊपर ओरिजनल सूट सं०- 27/2018 सिविल जज जुनियर डिविजन नं०- 1 डालटनगंज के यहाँ मुकदमा दायर किया गया है जो चल रहा है। प्रथम पक्ष के द्वारा दाखिल सूट नं०-27/2018 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विपक्षी का प्रस्तावित भूमि पर दखल - कब्जा एवं स्वामित्व है। प्रथम पक्ष के द्वारा अपने दावे के समर्थन में पुराना एवं नया खतियान की छायाप्रति एवं लगान रसीद की छायाप्रति समर्पित किया गया है। द्वितीय पक्ष के द्वारा अपने दावे के समर्थन में सादा विक्रय पत्र की छायाप्रति समर्पित किया गया है। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सूना। अभिलेख में संलग्न कारण पृच्छा एवं कागजातों का अवलोकन किया। उभय पक्ष के द्वारा बताया गया कि विवादी भूमि से संबंधित मामला सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है, ऐसी स्थिति में इस न्यायालय के द्वारा कोई आदेश पारीत करना उचित प्रतीत -



देश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	नहीं होता है। अतः इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित  ४ अनुमंडल दंडाधिकारी, छरपुर (पलामू)।  ७ अनुमंडल दंडाधिकारी, छतरपुर (पलामू)।	